

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई, 1999 (आषाढ़ 17, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र भवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बाऊराम रत्नाकर, श्री बनवारीलाल अग्रवाल, डॉ.आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, उत्तीरगढ़ क्षेत्र के कई नगरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़-फोड़ किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री जयंत कुमार मलैया, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, दमोढ़ एवं टीकमगढ़ जिलों में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री श्रवण कुमार पटेल, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 1999 को पूछे गये अतार्याकित प्रश्न संख्या 135 (क्रमांक 5111) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

निर्धारित
समय

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

30 मि.

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 24 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

2 घन्टे

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(4) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 26 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय।

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

3 घन्टे

(शेष...
2 घन्टे
15 मि.)

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1998-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः).

धोषण :
दिनांक : 7 जुलाई, 1999

के.पी. शिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.